पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्देमातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांकःरा.शिक्षकसंघ(राष्ट्रीय)/महामंत्री/158 दिनांक–15.08.2021

आदरणीय कार्यकर्ता बन्धुओं/भगिनियों,
सादर वन्दे।

आशा है आप सभी स्वस्थ व सानन्द होंगे ही व संगठन साधना में लगे होंगे। दिनांक 1 अगस्त 2021 को आयोज्य स्थायी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शिक्षकों की वर्तमान में चल रही ज्वलन्त समस्याओं, सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार नवीन सेवा नियमों में संगठन के अभिमतानुसार संशोधन कराने व संगठन के मांगपत्र पर वार्ता कर निराकरण कराने को लेकर आन्दोलन किया जाना है।

आन्दोलन के चरण निम्नानुसार रहेंगे :–

क्र.सं.	चरण	दिनांक	कार्यक्रम
1	प्रथम चरण	1 सितम्बर से 8 सितम्बर 2021 तक	जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना
2	द्वितीय चरण	13 सितम्बर 2021	उपशाखाओं द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना
3	तृतीय चरण	22 सितम्बर 2021	जिलाशाखा द्वारा जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना

अतः उपरोक्तानुसार समस्त चरणों को प्रभावी तरीके से आयोजित कर संगठन को बल प्रदान करावे। जनप्रतिनिधियों के ज्ञापन में उपशाखाओं द्वारा स्थानीय विधायकों को व जिलाशाखा द्वारा सांसद व जिला प्रमुखों को ज्ञापन देना है। सांसद को ज्ञापन संसदीय क्षेत्रानुसार जिले संयुक्त रूप से योजना कर ज्ञापन देने का कार्यक्रम सम्पादित करावे। विधायक, सांसद एवं जिला प्रमुख हेतु ज्ञापन की प्रतियाँ पृथक–पृथक भिजवायी जा रही है। अपने–अपने लैटर–पैड पर (उपशाखा/जिला पदाधिकारियों द्वारा) इसकी प्रति निकलवाकर पदाधिकारी के हस्ताक्षर कर ज्ञापन देवें। समस्त जिलाध्यक्ष, जिलामंत्री से आग्रह है कि अपने–अपने जिलों की समस्त उपशाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री तक ज्ञापन की प्रति भिजवाकर ज्ञापन दिलवाना सुनिश्चित करें। ज्ञापन देने के पश्चात् इसकी जानकारी महामंत्री कार्यालय को देते हुए मीडिया में भी व्यापक प्रचार–प्रसार अवश्य करें।

इति शुभम्।

भवदीय

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री

पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांक : दिनांक–13.09.2021

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीय शिक्षामंत्री महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– ज्ञापन।

द्वारा :– श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड.....जिला..... ।

महोदय,

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने समय–समय पर शिक्षकों की निम्न समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया है लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने से शिक्षक आहत है तथा स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपसे निवेदन है कि शिक्षकों की निम्न ज्वलन्त समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर अनुगृहीत करें :–

1. 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों के लिये नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जावे।
2. वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में पूर्व में गठित सामन्त कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जावे।
3. 2007 से 2009–10 तक के शिक्षकों की वेतन विसंगति तत्काल दूर करते हुए समस्त संवर्गों के शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर की जावे।
4. शिक्षकों को बी.एल.ओ. के कार्य से तत्काल मुक्ति दिलाते हुए अन्य समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्ति दिलाई जावे।
5. समुचित संसाधनों की उचित व्यवस्था होने तक ऑन–लाईन उपस्थिति से वेतन आहरण की अनिवार्यता स्थगित की जावे।
6. दिनांक 27.07.2021 को सरकार द्वारा नवीन सेवा नियमों को लेकर जारी की गई अधिसूचना में शिक्षा व शिक्षक विरोधी प्रावधानों को संगठन द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार तत्काल संशोधित किया जावे।
7. संगठन के संलग्न मांगपत्र पर तत्काल सक्षम स्तर पर वार्ता आयोजित करवाकर समुचित कार्यवाही की जावे।

अतः संगठन का आपसे आग्रह है कि उक्त ज्वलन्त समस्याओं का तत्काल ही समाधान कर शिक्षकों को राहत प्रदान करावें।

भवदीय

अध्यक्ष
उपशाखा.....
जिला.....

मंत्री
उपशाखा.....
जिला.....

पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांक : दिनांक–22.09.2021

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर।

माननीय शिक्षामंत्री महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– ज्ञापन।

द्वारा :– श्रीमान् कलक्टर महोदय।
जिला..... ।

महोदय,

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने समय–समय पर शिक्षकों की निम्न समस्याओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया है लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने से शिक्षक आहत है तथा स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपसे निवेदन है कि शिक्षकों की निम्न ज्वलन्त समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर अनुग्रहीत करें :–

1. 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों के लिये नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जावे।
2. वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में पूर्व में गठित सामन्त कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जावे।
3. 2007 से 2009–10 तक के शिक्षकों की वेतन विसंगति तत्काल दूर करते हुए समस्त संवर्गों के शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर की जावे।
4. शिक्षकों को बी.एल.ओ. के कार्य से तत्काल मुक्ति दिलाते हुए अन्य समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्ति दिलाई जावे।
5. समुचित संसाधनों की उचित व्यवस्था होने तक ऑन–लाईन उपस्थिति से वेतन आहरण की अनिवार्यता स्थगित की जावे।
6. दिनांक 27.07.2021 को सरकार द्वारा नवीन सेवा नियमों को लेकर जारी की गई अधिसूचना में शिक्षा व शिक्षक विरोधी प्रावधानों को संगठन द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार तत्काल संशोधित किया जावे।
7. संगठन के संलग्न मांगपत्र पर तत्काल सक्षम स्तर पर वार्ता आयोजित करवाकर समुचित कार्यवाही की जावे।

अतः संगठन का आपसे आग्रह है कि उक्त ज्वलन्त समस्याओं का तत्काल ही समाधान कर शिक्षकों को राहत प्रदान करावें।

भवदीय

अध्यक्ष
जिला.....

मंत्री
जिला.....

पंजीकृत संख्या 72/54–55 || वन्दे मातरम्|| Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांक : दिनांक : सितम्बर 2021

श्रीमान्/श्रीमती.....
विधानसभा क्षेत्र.....
राजस्थान विधानसभा।

विषय :– ज्ञापन।

महोदय,

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने समय–समय पर शिक्षकों की निम्न समस्याओं पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने से शिक्षक आहत एवं आक्रोशित है। राजस्थान की जनता के सम्मानीय जन प्रतिनिधि होने के नाते संगठन आपसे शिक्षको की न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु राजस्थान सरकार के समक्ष समुचित प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विधायिका के माध्यम से अपनी सशक्त एवं प्रभावी आवाज प्रदान करने का निवेदन करता है।

1. 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों के लिये नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जावे।
2. वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में पूर्व में गठित सामन्त कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जावे।
3. 2007 से 2009–10 तक के शिक्षकों की वेतन विसंगति तत्काल दूर करते हुए समस्त संवर्गों के शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर की जावे।
4. शिक्षकों को बी.एल.ओ. के कार्य से तत्काल मुक्ति दिलाते हुए अन्य समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्ति दिलाई जावे।
5. समुचित संसाधनों की उचित व्यवस्था होने तक ऑन–लाईन उपस्थिति से वेतन आहरण की अनिवार्यता स्थगित की जावे।
6. दिनांक 27.07.2021 को सरकार द्वारा नवीन सेवा नियमों को लेकर जारी की गई अधिसूचना में शिक्षा व शिक्षक विरोधी प्रावधानों को संगठन द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार तत्काल संशोधित किया जावे।
7. संगठन के संलग्न मांगपत्र पर तत्काल सक्षम स्तर पर वार्ता आयोजित करवाकर समुचित कार्यवाही की जावे।

अतः संगठन का आपसे आग्रह है कि उक्त ज्वलन्त समस्याओं का तत्काल ही समाधान करवाकर शिक्षकों को राहत प्रदान करावें।

भवदीय

अध्यक्ष
उपशाखा.....
जिला.....

मंत्री
उपशाखा.....
जिला.....

पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांक : दिनांकः सितम्बर 2021

श्रीमान्/श्रीमती.....
लोकसभा क्षेत्र.....
नई दिल्ली।

विषय :– ज्ञापन।

महोदय,

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने समय–समय पर शिक्षकों की निम्न समस्याओं पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने से शिक्षक आहत एवं आक्रोशित है। राजस्थान की जनता के सम्माननीय जन प्रतिनिधि होने के नाते संगठन आपसे शिक्षको की न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु राजस्थान सरकार के समक्ष समुचित प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने हेतु विधायिका के माध्यम से अपनी सशक्त एवं प्रभावी आवाज प्रदान करने का निवेदन करता है।

1. 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों के लिये नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जावे।
2. वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में पूर्व में गठित सामन्त कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जावे।
3. 2007 से 2009–10 तक के शिक्षकों की वेतन विसंगति तत्काल दूर करते हुए समस्त संवर्गों के शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर की जावे।
4. शिक्षकों को बी.एल.ओ. के कार्य से तत्काल मुक्ति दिलाते हुए अन्य समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्ति दिलाई जावे।
5. समुचित संसाधनों की उचित व्यवस्था होने तक ऑन–लाईन उपस्थिति से वेतन आहरण की अनिवार्यता स्थगित की जावे।
6. दिनांक 27.07.2021 को सरकार द्वारा नवीन सेवा नियमों को लेकर जारी की गई अधिसूचना में शिक्षा व शिक्षक विरोधी प्रावधानों को संगठन द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार तत्काल संशोधित किया जावे।
7. संगठन के संलग्न मांगपत्र पर तत्काल सक्षम स्तर पर वार्ता आयोजित करवाकर समुचित कार्यवाही की जावे।

अतः संगठन का आपसे आग्रह है कि उक्त ज्वलन्त समस्याओं का तत्काल ही समाधान करवाने का मार्ग प्रशस्त कर शिक्षकों को राहत प्रदान करावे।

भवदीय

अध्यक्ष **मंत्री**
जिला..... **जिला.....**

पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांक : दिनांक : सितम्बर 2021

माननीय जिला प्रमुख महोदय
जिला..... ।

विषय :– ज्ञापन।

महोदय,

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने समय–समय पर शिक्षकों की निम्न समस्याओं पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं किये जाने से शिक्षक आहत एवं आक्रोशित है। राजस्थान की जनता के सम्माननीय जन प्रतिनिधि होने के नाते संगठन आपसे शिक्षको की न्यायोचित समस्याओं के समाधान हेतु राजस्थान सरकार के समक्ष समुचित प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करने हेतु अपनी सशक्त एवं प्रभावी आवाज प्रदान करने का निवेदन करता है।

1. 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों के लिये नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जावे।
2. वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में पूर्व में गठित सामन्त कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जावे।
3. 2007 से 2009–10 तक के शिक्षकों की वेतन विसंगति तत्काल दूर करते हुए समस्त संवर्गों के शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर की जावे।
4. शिक्षकों को बी.एल.ओ. के कार्य से तत्काल मुक्ति दिलाते हुए अन्य समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्ति दिलाई जावे।
5. समुचित संसाधनों की उचित व्यवस्था होने तक ऑन–लाईन उपस्थिति से वेतन आहरण की अनिवार्यता स्थगित की जावे।
6. दिनांक 27.07.2021 को सरकार द्वारा नवीन सेवा नियमों को लेकर जारी की गई अधिसूचना में शिक्षा व शिक्षक विरोधी प्रावधानों को संगठन द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार तत्काल संशोधित किया जावे।
7. संगठन के संलग्न मांगपत्र पर तत्काल सक्षम स्तर पर वार्ता आयोजित करवाकर समुचित कार्यवाही की जावे।

अतः संगठन का आपसे आग्रह है कि उक्त ज्वलन्त समस्याओं का तत्काल ही समाधान करवाने का मार्ग प्रशस्त कर शिक्षकों को राहत प्रदान करावे।

भवदीय

अध्यक्ष
जिला.....

मंत्री
जिला.....

पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्देमातरम् ।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

क्रमांकःरा.शिक्षकसंघ(राष्ट्रीय)/महामंत्री/160 दिनांक–15.08.2021

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

संदर्भ :– राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.07.2021

विषय :– अधिसूचना में विभागीय नियमों में शिक्षक विरोधी प्रावधानों को संशोधित करने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त सन्दर्भ एवं विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 26.07.2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से शिक्षा विभाग में भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों में संशोधन किया गया है। संगठन द्वारा इस अधिसूचना के विभिन्न नियमों का गहन अध्ययन एवं आम शिक्षक पर होने वाले प्रभाव के बारे में शिक्षकों से व्यापक विचार–विमर्श किये जाने के पश्चात् संगठन का मत एवं निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :–

1. अधिसूचना के भाग 3 में शिक्षा विभाग में अध्यापक पदों को पंचायत समितियों के अधीन विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को स्थानान्तरण से भरने का प्रावधान है जो सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। **संगठन का मत है कि इस प्रक्रिया हेतु सम्बन्धित अध्यापकों से विकल्प मांगे जाने चाहिए एवं इच्छुक अध्यापकों को ही शिक्षा विभाग में भेजा जाना चाहिये।**
2. अधिसूचना के भाग 5 के बिन्दु संख्या 32 (2) के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक पद पर **परिवीक्षाकाल के दौरान ही** उनसे प्राध्यापक, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी या प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नति हेतु विकल्प ले लिये जायेंगे जो अपरिवर्तनीय होगा। उसी अनुरूप उनकी पदोन्नति पर विचार किया जायेगा। **यह एक दमनकारी एवं अव्यवहारिक प्रावधान है जिसका संगठन विरोध करता है। पदोन्नति से काफी समय पूर्व ही विकल्प लेने की व्यवस्था औचित्यहीन है। संगठन का मत है कि विभाग में वर्तमान में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया ही जारी रखते हुए पदोन्नति से ठीक पूर्व विकल्प मांगे जाने चाहिये।**
3. इन संशोधित नियमों में व्यापक शिक्षक हित, सार्वभौमिक समानता एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के समान अवसर प्रदान करने के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत प्रावधान समाहित किये गये हैं। उक्त नियम नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में Multidisciplinary Approach का प्रावधान है जिसके तहत नवीन पीढ़ी को संकायों (विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि) की बाध्यता से मुक्त कर उनकी रुचि अनुसार विषयों के चुनाव में स्वतन्त्रता प्रदान करने की पहल की गई

हैं। वहीं इन नियमों में प्रतिगामी कदम उठाते हुए अधिसूचना की अनुसूची–1 में प्राध्यापक पद की पदोन्नति के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता में विषय की समानता की अनिवार्यता रखी गई है। **यह प्रावधान सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता से भिन्न है।** एक ही पद हेतु दो अलग–अलग प्रावधान वैधानिक रूप से भी विरोधाभासी स्थिति है जिससे न्यायालय प्रकरण बनने की सदैव आशंका रहेगी। अतः **संगठन का मत है कि प्राध्यापकों के समस्त पदों पर पदोन्नति के लिए योग्यता सीधी भर्ती में उल्लेखित योग्यता के समान ही होनी चाहिए।**

यहाँ यह उल्लेख भी प्रासंगिक है कि वर्तमान में प्रचलित नियमों के तहत प्रदेश के हजारों शिक्षकों ने स्नातकोत्तर स्तरीय उच्च शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर विभागीय वरिष्ठता सूची में उच्च योग्यता का अंकन करवा रखा है। नवीन संशोधनों से उनके पदोन्नति से वंचित हो जाने से शिक्षक हितों पर घोर कुठारघात हुआ है। अतः **शिक्षक हित विरोधी यह स्थिति तुरन्त संशोधित की जानी चाहिए।**

4. अधिसूचना में अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर विभिन्न विषयों की पदोन्नति के प्रावधान किये गये है जो लगभग वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही है। **वर्तमान पदोन्नति व्यवस्था में सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक बहुत ज्यादा पिछड़ गये हैं। अतः इन अध्यापकों की इस विषमता को दूर करने के लिये प्रयास किये जाने आवश्यक है। इस हेतु अपनाये जा सकने वाले अनेक सुझावों में से एक सुझाव यह है कि प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक–एक हैड टीचर का पद सृजित कर उस पर सामाजिक विज्ञान विषय के ही शिक्षकों की पदोन्नति की जाये इसके साथ ही** विषयवार पदोन्नति से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए पिछड़े हुए विषयों के शिक्षकों को उनसे आगे रहने वाले शिक्षकों के समकक्ष लाने हेतु विशेष कार्य योजना बनाना लागू किया जाना समीचीन होगा। एक ही वर्ष की वरिष्ठता वाले शिक्षकों को समान रूप से पदोन्नति प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार पद सृजन करने की पहल राज्य सरकार के स्तर पर की जानी चाहिए।

5. अधिसूचना के नवीन प्रावधानों के तहत सर्वाधिक दुष्प्रभाव अध्यापक संवर्ग पर होने की आंशका है क्योंकि पदोन्नति के लिये निर्धारित प्रावधानों के कारण वरिष्ठ अध्यापक से उच्च पदों पर पदोन्नति की गति पर अकुंश लग जायेगा। जिससे अन्ततः अध्यापक की वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति विलम्ब से हो पायेगी। विभाग में अध्यापक संवर्ग की संख्या सर्वाधिक है जिनके पदोन्नति के अवसरों पर कुठाराघात करने के प्रावधान लागू किये जाने का संगठन घोर विरोध करता है। संगठन की पुरजोर मांग है कि उक्त नियमों को तत्काल संशोधित कर अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि किये जाने वाले प्रावधान लागू किये जावे।

संगठन का आपसे आग्रह है कि उक्त समस्त विषयों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर उचित स्तर पर इन नियमों का संशोधित करने के निर्देश प्रदान कर सर्व स्पर्शी एवं शिक्षक हितों के अनुकूल बनाकर शिक्षा विभागमें कार्यरत समस्त शिक्षक वर्गों को राहत प्रदान करें।

भवदीय

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री

पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा माँग–पत्र

1. नवीन पेंशन योजना (N.P.S.) समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये।
2. शिक्षकों की छठें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतनमान में पे–मैट्रिक एवं लेवल निर्धारित कर 01.01.2016 से नगद परिलाभ दिया जाये।
3. व्याख्याताओं की अनुसूची–5 के तहत हुई कटौती को समाप्त किया जावे एवं उसी अनुसार वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक की वेतन विसंगतियाँ दूर की जावें।
4. विभाग में पदस्थापन हेतु प्रचलित काउन्सलिंग पद्धति को युक्ति–युक्त बनाकर समस्त वर्गों के शिक्षकों के लिये हितकारी, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाया जायें। पदस्थापन हेतु सूचियों में वरीयता निर्धारण में समान दृष्टिकोण अपनाते हुए वरीयता निर्धारण किया जायें एवं समस्त रिक्त स्थान पर्याप्त समय पूर्व प्रसारित किए जायें, नियमानुसार यात्रा भत्ता व योगकाल दिया जाये।
5. स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के मानदण्डानुसार पदों का निर्धारण किया जाये। स्टाफिंग पैटर्न के मानदण्डों में विद्यालय के नामांकन एवं विषय को आधार माना जाये।
6. राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) को मान्यता प्रदान की जाये।
7. सभी वर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से ए.सी.पी. का लाभ दिया जाये।
8. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को ग्रामीण भत्ता दिया जाये।
9. नव–नियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षा काल सम्पूर्ण सेवा अवधि मे केवल एक बार हो, परिवीक्षा काल अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष की जाए तथा परिवीक्षा काल में स्थिर वेतन के स्थान पर नियमित वेतनमान दिये जाये।
10. R.P.M.F. की कटौती तत्काल बन्द की जाये।
11. शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष व प्रयोगशाला सहायकों की वर्षवार नियमित डी.पी.सी. तत्काल की जाये।

12. प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला सहायक से समायोजित एवं पदोन्नत अध्यापकों को अध्यापक पद के अनुरूप ही उन्हें समस्त परिलाभ दिये जाए।

13. पी.डी. मद के शिक्षकों के वेतन बजट हेतु एकमुश्त बजट आंवटित करते हुए वेतन भुगतान की व्यवस्था P.E.E.O. के माध्यम से सीधे कोष कार्यालय द्वारा की जाये।

14. अनुदानित विद्यालयों से समायोजित शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति से पदोन्नति, पेंशन एवं समस्त परिलाभ दिये जाये।

15. उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल–2 के समस्त विषयों के पद पृथक–पृथक स्वीकृत किये जाये।

16. समस्त श्रेणी के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक कर्मचारी एवं कम्प्यूटर शिक्षक के पदों का सृजन किया जाकर रिक्त पद अविलम्ब भरें जाये।

17. माननीय न्यायालय एवं RTE अधिनियम के निर्देशानुसार शिक्षकों को समस्त गैर शैक्षिक कार्यो यथा जनगणना, पोषाहार, भवन निर्माण, B.L.O. तथा वर्ष पर्यन्त निर्वाचन के नाम पर प्रतिनियुक्ति व्यवस्था से पूर्णतः मुक्त किया जाए।

18. विभाग में शेष रहे योग्यताधारी पैराटीचर, शिक्षाकर्मी एवं संविदा शिक्षक को प्रबोधकों के पद पर लगाया जाये तथा वर्तमान में कार्यरत प्रबोधकों को अध्यापक की भाँति पदोन्नति एवं समस्त परिलाभ प्रदान किये जाये।

19. कृषि, गृह विज्ञान, संगीत, वाणिज्य एवं सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति दी जाये।

20. स्थानान्तरण के नियम बनाए जाये।

21. शिक्षकों को अवकाश के दिन कार्य करने पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश प्रदान किये जाये।

22. कृषि विषय के तदर्थ व्याख्याताओं को कार्यरत पद पर नियमित किया जाये।

23. वाणिज्य वर्ग के व्याख्याता की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति विषयवार की जाये।

24. संगठन द्वारा आयोजित शैक्षिक सेमिनार व कार्यशाला के लिए पूर्व की भांति विशेष शैक्षिक अवकाश स्वीकृत किये जाये।

25. पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को सामान्य शिक्षकों के समान वेतन व समस्त परिलाभ प्रदान किये जायें।

26. शिक्षा विभाग एवं उसके अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं/बोर्ड आदि मे विभागीय अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाये।

27. आर.टी.ई. के अन्तर्गत निजी विद्यालयों की फीस पुनर्भरण की व्यवस्था समाप्त की जाये।

28. कुक कम हेल्पर के मानदेय में वृद्धि की जाये।

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री

पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, रामावतार शर्मा
(Regd. &Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवरलाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो.94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

संस्कृत शिक्षा माँग–पत्र

1. शिक्षकों की छठें वेतनमान की विसंगतियों को दूर करते हुए केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतनमान में पे–मैट्रिक एवं लेवल निर्धारित कर 01.01.2016 से नगद परिलाभ दिया जाये।
2. नवीन पेंशन योजना (N.P.S.) समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये।
3. राज्य सेवा व अन्य प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत के दस से पन्द्रह अंकों के प्रश्न निर्धारित किये जाये।
4. राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) को अविलम्ब मान्यता प्रदान की जाये।
5. राज्य सरकार के वर्ष 2000 के निर्देशानुसार स्कूल विभाग का स्वतंत्र रूप से गठन किया जाए एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक ढाँचा सृजित किया जाए।
6. प्रत्येक ब्लॉक में 10 संस्कृत विद्यालय खोले जाए तथा 1 आदर्श वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाए।
7. सभी पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रतिवर्ष पदोन्नति सुनिश्चित की जावें तथा प्राध्यापक/उपनिरीक्षक, प्रधानाध्यापक प्रवेशिका/वरिष्ठ उपनिरीक्षक एवं प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय की पदोन्नति में निर्धारित योग्यता में 48 प्रतिशत की बाध्यता समाप्त की जावें।
8. विभाग में अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षक तक के संस्थापन जैसे की स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के अधिकार संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी को दिये जाए।
9. प्रधानाचार्य वरि.उपा.की ग्रेड पे केन्द्र के अनुरूप 7600 कर सातवें वेतनमान में उसके अनुरूप लेवल का निर्धारण किया जाए।
10. प्रत्येक जिले में एक वेद विद्यालय की स्थापना की जावें।
11. संस्था प्रधानों की संभाग स्तरीय वाक्पीठ का आयोजन प्रतिवर्ष किया जावे।

12. लम्बे समय से सीधी भर्ती के खाली पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाये।

13. निःशुल्क शिक्षा लागू होने के कारण विद्यालय परिचालन के लिये छात्र कोष शुल्क का पुनर्भरण करने हेतु बजट आवंटित किया जाये।

14. उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल–2 में गणित व विज्ञान के पद पृथक–पृथक स्वीकृत किये जाए।

15. संभाग स्तरीय खेल–कूद प्रकोष्ठ का गठन कर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक को पदस्थापित किया जाये।

16. संस्कृत शिक्षा में संवेतन के लिए सभी मदों में एकमुश्त बजट का आवंटन किया जावें।

17. टी.ए. एवं मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु शून्य आधारित बजट जारी किया जावे।

18. संस्कृत शिक्षा को विशेष मानते हुए मानदण्डों में शिथिलता देते हुए प्रत्येक जिले में विद्यालय क्रमोन्नत किये जाये।

19. राज्य सरकार द्वारा SMSA तथा अन्य परियोजनाओं में संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराये जाए।

20. बी.एड. एवं उच्च अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश शिक्षा विभाग के अनुरूप स्वीकृत किया जावें।

21. समानीकरण एवं स्थानान्तरण नियम बनायें जावें।

22. समस्त प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारी, शारीरिक शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं आवश्यकतानुसार सहायक कर्मचारी के पदों का सृजन कर भरा जावें।

23. माननीय न्यायालय एवं R.T.E. अधिनियम के निर्देशानुसार शिक्षकों को समस्त गैर–शैक्षणिक कार्यों यथा जनगणना, पोषाहार, भवन निर्माण, बी.एल.ओ. तथा वर्ष पर्यन्त निर्वाचन के नाम पर प्रतिनियुक्ति/व्यवस्था से पूर्णतया मुक्त किया जाये।

24. सभी पदों पर पदोन्नति से 15 दिन पूर्व संभावित सूची का प्रकाशन करते हुए शिक्षकों से आपत्तियाँ मांगी जावे एवं पदस्थापन काउन्सलिंग के माध्यम से किया जावे।

25. नामांकन एवं विषय के आधार पर पदों का पुनः निर्धारण किया जाए तथा समस्त वरिष्ठ उपाध्याय एवं प्रवेशिका विद्यालयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि के पद का सृजन किया जाए।

(अरविन्द व्यास)
महामंत्री